

पीठासीन अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

2023/234

दिनांक - 20/01/23

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

पुत्र लिछमणाराम
ढी निवासी रामसर का
तहसील बाडमेर ग्रामीण
जा बाडमेर।


1 गुमनाराम पुत्र लालाराम 2 जीयाराम 3 देराजराम
पिसरान किस्तुराराम 4 भगवानाराम पुत्र सताराम 5
बाबूलाल पुत्र मेघाराम 6 मेहराराम पुत्र हराखाराम जाति
जाट 7 देदाराम पुत्र खेराजराम 8 चेलाराम पुत्र कूम्याराम
9 दलाराम पुत्र खेराजराम जाति प्रजापत निवासी रामसर
का कुआ तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 295/2022

दिनांक- 12/01/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामसर का कुआ पटवार क्षेत्र बेरिवाला तला तहसील बाडमेर
ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1095/658 रकबा 07.19 बीघा भूमि के चारो तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके
पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 20/01/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 235-38

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. सुखदेव पुत्र लिछमणाराम जाति ढाढी निवासी रामसर का कुआ तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी गुमनाराम पुत्र लालाराम वगौराह जाति जाट निवासी रामसर का कुआ तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर